Class – LL.M. 3rd Sem. (Business Law)

Subject – General Principles of Contract

Code – L-305

एक विधिक प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए , तथा निम्न में अंतर बताइयें।

1. सामान्य प्रस्ताव एवं विशिष्ट प्रस्ताव

2. प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के लिए आमंत्रण

इस e-content में प्रस्ताव की परिभाषा , प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों को उदाहरण एवं निर्णीत वादों की सहायता से समझाया गया है।

प्रस्ताव की परिभाषा :– संविदा अधि० 1872 की धारा 2 (क) के अनुसार "जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य के करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्दे"य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने या न करने के सम्बंध में प्राप्त हो , तो कहा जायेगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे के समक्ष प्रस्ताव रखा है।"

विधिक प्रस्ताव के आवश्यक तत्व :–

1. **दो पक्षकारों का होना :–** कोई व्यक्ति स्वयं से प्रस्ताव नहीं कर सकता। अतः प्रस्ताव के लिए दो पक्षों का होना आव"यक है। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को प्रतिज्ञाकर्ता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले को प्रतिज्ञाग्रहीता कहा जाता है।
2. **प्रस्ताव की संसूचना आवश्यक हैः–** प्रस्ताव स्वीकर्ता की जानकारी में आना आव"यक है। प्रस्ताव की संसूचना के बिना प्रस्ताव की शर्तोनुसार व्यवहार करके स्वीकर्ता प्रस्तावक को बाध्य नहीं कर सकता। **(लालमन शुक्ला बनाम पं० गौरी दत्त (1913) ए0एल0जे0 489)**
3. **प्रस्ताव द्वारा दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने के उददेश्य से इच्छा प्रकट करनाः–** प्रस्तावक दूसरे पक्ष को किसी कार्य का करने या न करने की अपनी इच्छा इस आ"य से संसूचित करता है कि दूसरा पक्षकर उसके प्रति अपनी सहमति दे दें।
4. **प्रस्ताव विधिक सम्बंध उत्पन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिएः–**

प्रस्ताव तथा स्वीकृति दोनो का आ"य विधिक सम्बंध सृजित करने का होना आव"यक है। व्यापारिक समझौतो में विधिक उददे"य रहता हैं जबकि सामाजिक या नैतिक संबंध कानूनी दायित्वों को जन्म नहीं देते।

<u>बलफर बनाम बलफर (1919) 2 KB 571</u>

इस वाद में प्रतिवादी जो सिलोन में नौकरी करता था इंग्लैण्ड में अपनी पत्नी के साथ छुट्टी बिताने गया। कुछ समय बाद पत्नी बीमार हो गई और पति को अकेले ही आना पड़ा। जाते समय पति ने पत्नी से 30 पौण्ड प्रतिमाह भरण–पोषण देने का वायदा किया जिसे वह पूरा न कर सका। पत्नी ने पति के खिलाफ वाद दायर किया।

निर्णय – यह प्रस्ताव केवल सामाजिक संबंध उत्पन्न करता है कानूनी नही। अतः वाद खारिज किया गया।

<u>5. वाद निश्चित होना चाहिए :–</u> प्रस्ताव मान्य संविदा का आधार होता है इसलिए यह अस्पष्ट नहीं होने चाहिए।

<u>संविदा अधि० 1872 कि धारा 129 –</u> व करार जिसके अर्थ अस्पष्ट होते है , शून्य होते है।

उदाहरण :– ऐ , बी से 100 टन तेल बेचने का करार करता है , यह करार शून्य होगा क्योंकि यहॉ यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार के तेल को बेचने का इरादा हैं।

<u>6. प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए आदेश के रूप में नहीं :–</u> प्रस्तावकर्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वीकर्त्ता को सूचना देने के लिए बाध्य करें।

फेल्ट हाउस बनाम विण्डले (1862)

<u>7.</u> प्रस्ताव स्पष्ट या उपलक्षित हो सकता हैं :– जब प्रस्ताव मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। परंतु जब वह ऐसा न होकर केवल आचरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तब उसे उपलक्षित प्रस्ताव कहते है।

उदाहरण :– ऐ , अपनी टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैण्ड पर खड़ा हो जाता है, उसके इस आचरण से उसकी यह इच्छा प्रकट होती है कि यात्रियों से किराया लेकर वह सवारी ढोने का प्रस्ताव करता है।

<u>8. प्रस्ताव सशर्त या शर्तहीन हो सकता है:–</u> प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रस्तावकर्ता एक या अनेक शर्त लगा सकता है या बिना शर्त भी प्रस्ताव कर सकता है।

उदाहरण :–'ए', 'बी' से कहता है कि यदि 'बी' टेनिस क्लब का सदस्य बन जायें तो 'ऐ' उसको अपना रैकेट बेच देगा। यह स"ार्त प्रस्ताव है।

<u>9. प्रस्ताव स्वीकृत होने से पूर्व कभी भी खण्डित किया जा सकता है:–</u> भले ही प्रस्तावकर्ता ने स्वीकर्त्ता को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए नि"चत समय दिया हो क्योंकि प्रस्तावक को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता।

10. प्रस्ताव में वर्णित सभी शर्तो की सूचना दी जानी चाहिएः– यदि प्रस्ताव में कोई शर्त है तो संबंधित पक्ष को उन सभी की उचित सूचना दी जाऐं। यदि उचित रूप में दी गई हो तो स्वीकर्ता शर्तो से मुकर नहीं सकता।

हेन्डरसन बनाम स्टीवेसन (1875) के वाद में 'ऐ' ने रेलवे क० से एक टिकट खरीदा। टिकट पर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उसका ध्यान आकर्षित होता कि टिकट के पीछे क्या लिखा हुआ है।

निर्णय – 'ऐ' टिकट में लिखी शर्तो से बाध्य नहीं था।

I. सामान्य प्रस्ताव एवं विशिष्ट प्रस्ताव :– जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के निश्चित समूह को किया जाता है तो यह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है।

उदाहरणार्थ – 'ऐ' अपना मकान केवल 'बी' को 10 लाख रू0 में में बेचने का प्रस्ताव करता है। यह विि"ाष्ट प्रस्ताव है।

- **सामान्य प्रस्ताव क्या है ?** – ऐसा प्रस्ताव जनसाधारण तथा उस व्यक्ति के साथ होता है जो प्रस्ताव कि शर्तों को पूरा करता है। अतः प्रस्ताव किसी नि"चित व्यक्ति को किया जाना आव"यक नहीं है, परंतु जहां प्रस्ताव सामान्य जनमा को किया गया है, वहां संविदा तब तक सृजित नहीं किया जा सकता जब तक कि नि"चित व्यक्ति द्वारा उसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

लालमन भाुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913) ऐ0एल0जे0 489

के वाद में प्रतिवादी का भतीजा खो गया । उसने अपने मुनीम को उस लड़के को तला"ा के लिए भेजा । बाद में प्रतिवादी ने पर्चे बटवाय और पर्चे में यह घोषण की गई कि जो भी उक्त लड़के का पता लगायेगा उसे 501/रू0 का इनाम दिया जायेगा। मुनीम बच्चे को खाोज कर घर लाया और बाद में उसे इनाम की घोषण का ज्ञान हुआ , और उसने इनाम का दावा किया।

निर्णय – मुनीम इनाम पाने का हकदार नहीं था क्योंकि संविदा के लिए प्रस्ताव कि स्वीकृति का होना आव"यक है और प्रस्ताव के ज्ञान के बिना स्वीकृति विधिमान्य नहीं होती है।

- **सामान्य पस्ताव की दशा में उत्पन्न समस्या :–**

यदि सामान्य प्रस्ताव एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो प्र"न उठता है कि क्या सभी के साथ संविदा का सृजन हो जायेगा। कुछ सामान्य प्रस्ताव ऐसे होते है जो एक से अधिक व्यक्ति द्वारा स्वीकार किये जा सकते है , तो जो अन्य व्यक्ति इसकी शर्तों को पूरा करके इसे स्वीकार करते है , उन सभी के साथ संविदा हो जाता है।

कारलिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कं0 1893 – के वाद में कम्पनी द्वारा घोषण की गई थी कि कार्बोलिक स्मोक बाल का प्रयोग दो सप्ताह तक करने के बाद इन्फलूऐन्जा नहीं होगा और , यदि ऐसा होगा तो कम्पनी उसे 100 पौंड इनाम देगी। इस द"ाा में वे सभी व्यक्ति इनाम का दावा कर सकते है जो दो सप्ताह तक उक्त कार्बोलिक स्मोक बाल का प्रयोग करने के बाद भी इन्फलूऐन्जा से पीड़ित होंगें। इस द"ाा में सामान्य प्रस्ताव एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

इसके विपरीत कुछ प्रस्ताव ऐसे होते है , जो केवल एक ही व्यक्ति द्वारा स्वीकार किये जा सकते है तो जैसे ही कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करता है , प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है , और अन्य उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

II. प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण :–

अ. प्रस्ताव : प्रस्ताव में प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने कि इच्छा उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए संज्ञात करता है और जब दूसरा व्यक्ति अपनी सहमति प्रदान कर देता है , तो वह प्रतिज्ञा हो जाती है।

ब. प्रस्ताव के लिए निमंत्रण :– प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देने वाला इस आ"य से दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करता है जिससे दूसरा व्यक्ति सूचनानुसार उसके साथ व्यवहार या प्रस्ताव करे। प्रस्ताव कि स्वीकृति हो जाने पर प्रतिज्ञा (वचन) का सृजन हो जाता है, परंतु प्रस्ताव के लिए निमंत्रण की स्वीकृति पर प्रतिज्ञा का सृजन नहीं होता।

उदाहरण–बेचने के लिये रखी हुई वस्तुओं की सूची जिसमे वस्तुओं के मूल्य का भी उल्लेख किया गया है, प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण है।

हार्वे बनाम फैंसी, (1893) ए०सी० 552

के वाद में प्रतिवादी ने एक **"बम्पर हाल पेन"** नामक जमीन के टुकड़े के स्वामी थे। वादी ने उस जमीन को क्रय करने हेतू प्रतिवादी को तार दिया – ''क्या आप उक्त बम्पर बाल पेन हमें बेचेंगे '' कम से कम नकद मूल्य का तार दे। प्रतिवादी ने उत्तर दिया ''बम्पर हाल पेन'' का कम से कम मूल्य 900 पौण्ड है। वादी ने पुनः तार दिया कि हम उक्त मूल्य (900 पौण्ड) पर बम्पर हाल पेन क्रय करने को तैयार है। कृप्या अपना स्वत्व विलेख भेजे। प्रतिवादी ने बेचने से इंकार कर दिया।

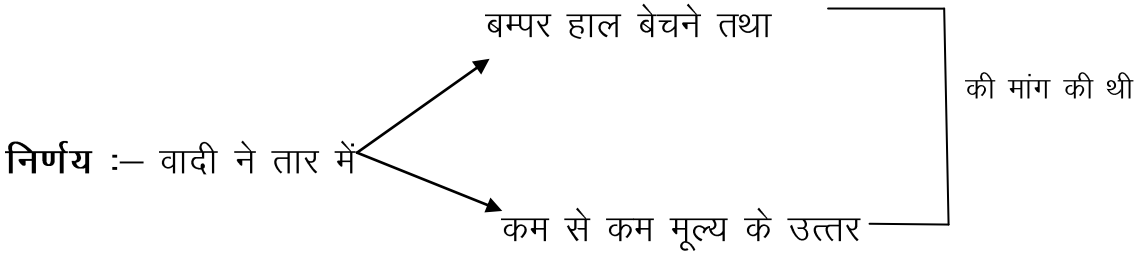

प्रतिवादी ने केवल मूल्य की सूचना दी न कि बेचने की इच्छा की। अतः उनके मध्य संविदा का सृजन नहीं हुआ।

''स्टेट बैक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चन्द्र कनौजी, ए०आई०आर०, 2004 एस०सी०डब्ल्यू० के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रकृत बैक द्वारा चालू की गई स्वैच्छिक सेवा निवृत योजना प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिये निमंत्रण है।

Compiled by

Dr. Vikas Kumar

Assistant Professor

ILS, CCSU campus, Meerut

For further queries you may reach us via..

E-mail - vikasrathimrt@gmail.com

Mob - 9058459666